# MRA AN USIUS The Gazette of India

### असाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2009/भाद्र 24, 1931

No. 537]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER15, 2009/BHADRA 24, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा. का. नि. 680(अ).—सिगरेट और अन्य तबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, सार्वजिनक स्थानों में धूप्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 में संशोधन करती है अर्थात:—

- (1) (i) इन नियमों का नाम सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का प्रतिषेध (संशोधन) नियमावली, 2009 है ।
  - (ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- (2) सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 की अनुसूची III में क्रम संख्या 12 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी :—

# अनुसूची Ⅲ

क्रमांक	कार्रवाई करने के लिए अधिकृत व्यक्ति	सार्वजनिक स्थानों का विवरण
(1)	(2)	(3)
"13	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधिकारी	उनके कार्य के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान
14	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य खाद्य और औषध प्रबंधन अधिकारी	उनके कार्य के अंदर के सभी सार्वजनिक स्थान

(3) (1)(2)पंचायती राज संस्थओं के प्रति-उनके कार्य क्षेत्र के अंदर के 15 निधी (सरपंच/पंचायत सचिव) सभी सार्वजनिक स्थान उनके कार्य क्षेत्र के अंदर के जिला कार्यक्रम प्रबंधक/ वित्त 16 प्रबंधक-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी सभी सार्वजनिक स्थान (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) जिला अस्पताल के सिविल अस्पताल भवन/स्वास्थ्य 17 सर्जन/मुख्य चिकित्सा संस्थान/ औषधालय अधिकारी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी रजिस्टार/उप रजिस्टार/लोक अदालती इमारतें 18 अभियोजक/सरकारी वकील

 19 विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा शिक्षण संस्थान अधिकारी
 20 यातायात अधीक्षक/सहायक सार्वजनिक वाहन यातायात अधीक्षक/बस विराम

21 यात्रा टिकट परीक्षक/मुख्य टिकट रेल''
निरीक्षक/टिकट संग्राहक/टिकट
संग्राहक से अन्यून पद के
अधिकारी या रेल सुरक्षा बल के
सहायक उप निरीक्षक से अन्यून
पद के समान अधिकारी

स्थल अधिकारी/टिकट संग्राहक

या संचालक

[फा. सं. पी. 16015/20/2007-पी. एच.]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा. का. नि. 417(अ) दिनांक 30 मई, 2008 के तहत अधिसुचित किए गए थे।

3386 GI/2009

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# (Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2009

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Cigarettes and Other Tabacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003) the Central Government hereby amends the Prohibition of Smoking in Public Places Rules, 2008, namely:---

- (1) (i) These rules may be called the Prohibition of Smoking in Public Places (Amendment) Rules, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) In Schedule III to the Prohibition of Smoking in Public Places Rules, 2008, after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

# Schedule III

Sl. No.	Persons authorized to take action.	Description of Public Places
(l)	(2)	(3)
"13	Police Officers not below the rank of Sub-Inspector of Police	All Public Places within their jurisdiction.
14	Officers of State Food and Drug Administration not below the rank of Sub- Inspector of Police	All Public Places within their jurisdiction.

	(1)	(2)	(3)
	15	Representatives of Panchyati Raj Institutions (Sarpanch/Panchayat Secretary)	All Public Places within their jurisdiction.
	16	District Program Manager/ Finance Manager-District Health Society (National Rural Health Mission)	All Public Places within their jurisdiction.
		Civil Surgeon/Chief Medical Officer (CMO) at District Hospital/ Medical Officer at Primary Health Centre (PHC)	Hospital Buildings/ Health Institutions/ dispensaries
	18	Registrar/Deputy Registrar/Public Prosecutors/ Government Counsels.	Court Buildings
	19	Inspector of Schools/ District Education officer	Educational Institutions
	20	Traffic Superintendents/ Asst Traffic Superintendents/Bus Station Officer/Ticket Collector or Conductor.	Public Conveyances
	21	Travelling ticket examiner/ Chief Ticket Inspectors/ Ticket Collectors/Officers not below the rank of ticke collector or equivalent rank not below the rank of Asst Sub-Inspector of Railway Protection Force.	t C
[F. No. P. 16015/20/2007-1 B. K. PRASAD, Jt. Se			

Note: The Principal rules were notified vide No. G.S.R. 417(E) the dated 30th May, 2008.